

बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या-3/कृ. बजट आवंटन-40/2014 124(आवंटन)/कृ., पटना, दिनांक 14-10-2014

प्रेषक :

रामजी सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विषय :-

कृषि परिसर मीठापुर, पटना में संयुक्त कृषि भवन, प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय भवन तथा परिसर के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक कुल 105.65 करोड़ रुपये (2012-13 में 21.00 करोड़, 2013-14 में 64.00 करोड़ एवं 2014-15 में 20.65 करोड़ रुपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन वर्ष 2014-15 में 20.65 करोड़ रु. (बीस करोड़ पैंसठ लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन सामान्य के लिए ₹18,65,00,000 (अठारह करोड़ पैंसठ लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप ₹18,65,00,000 (अठारह करोड़ पैंसठ लाख रुपये) की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-722 दिनांक-29.09.2014 द्वारा कृषि परिसर मीठापुर, पटना में संयुक्त कृषि भवन, प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय भवन तथा परिसर के आधुनिकीकरण हेतु वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक कुल 105.65 करोड़ रुपये (2012-13 में 21.00 करोड़, 2013-14 में 64.00 करोड़ एवं 2014-15 में 20.65 करोड़ रुपये) की लागत पर योजना कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन वर्ष 2014-15 में 20.65 करोड़ रु. (बीस करोड़ पैंसठ लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के अधीन सामान्य के लिए ₹18,65,00,000 (अठारह करोड़ पैंसठ लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु कुल ₹18,65,00,000 (अठारह करोड़ पैंसठ लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹18,65,00,000 (अठारह करोड़ पैंसठ लाख रुपये) मात्र की राशि का व्यय मुख्यशीर्ष "4401 फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-051-निर्माण, माँग संख्या-1-उप शीर्ष-0101-कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना, विपत्र कोड-P4401000510101-राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-50 32 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में विषयशीर्ष-53 01-मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि ₹22,00,00,000 (बाईस करोड़ रुपये) में से विकलनीय होगा।

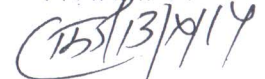
3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-6720 दिनांक-25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस राशि के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के बाद टी. भी. नम्बर के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

प्रतीप

विश्वासभाजन



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक -

124 (आवटन)

/कृ., पटना, दिनांक 14-10-2014

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.

संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक -

124 (आवटन)

/कृ., पटना, दिनांक 14-10-2014

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कृषि निदेशक, बिहार पटना/निदेशक, पी०पी०एम० कृषि विभाग, बिहार पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना), बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, ई-किसान भवन, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी योजना-(सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक -

124 (आवटन)

/कृ., पटना, दिनांक 14-10-2014

प्रतिलिपि :- उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,